

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2019—श्रावण 16, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019

आदेश सं.—एफ—ए—3—28—2019—1—पांच(56).— मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं.

अतः अब, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- 1 संक्षिप्त नाम.— इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना, छठा) आदेश, 2019 है.
- 2 मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "30 जून, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे.
- 3 यह आदेश दिनांक 28 जून, 2019 से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्र. एफ.ए 3-28-2019-1-पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के आदेश क्रमांक एफ ए-3-28-2019-1-पांच-(56), दिनांक 07 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th August 2019

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

Order No. F A 3-28/2019/1/V (56)

WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Sixth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. In section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word “30th June, 2019”, the figures, letters and word “31st August, 2019” shall be substituted.

3. This Order shall deemed to have come into force with effect from 28 June, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S.D. RICHHARIA, Dy. Secy.

क्रमांक एफ-ए-3-32-2019-1-पांच (57)-

भोपाल, दिनांक 07 अगस्त 2019

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन ऐसे प्ररूप जीएसटीआर-1 में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत करने है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई-सितंबर, 2019	31 अक्टूबर, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से सितंबर, 2019 के मास के लिए, यथास्थिति, ब्यौरों या विवरणी देने की समय-सीमा पश्चात्वर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

4. यह अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्र. एफ.ए 3-32-2019-1-पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2019-1-पांच-(57), दिनांक 07 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th August 2019

No. F A 3-32/2019/1/V (57) In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July –September, 2019	31 st October, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2019 to September, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This Notification shall deemed to have come into force with effect from 28th June, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।
3. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।
4. यह अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्रमांक एफ.ए 3-30-2019-1-पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण, में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-30-2019-1-पांच-(59), दिनांक 07 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th August 2019

No. F A 3-30/2019/1/V (59) In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as "the said Act"), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons registered under section 24 of the said Act read with rule 14 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017; (hereinafter referred to as "the said rules"), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in **FORM GSTR-9** under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules.
3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules.
4. This Notification shall deemed to have come into force with effect from 28th june, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S.D. RICHHARIA, Dy. Secy.

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

संशोधन

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“10.क बैंक खाते के ब्यौरों का दिया जाना - सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाने और माल और सेवा कर पहचान संख्या समनुदेशित किए जाने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न जिसे, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, यथाशक्य, शीघ्र किंतु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी का दिया जाना अपेक्षित है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के ब्यौरे के संबंध में जानकारी या कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 21 के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन करता है।”।

4. उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“32क. उन दशाओं में प्रदाय का मूल्य जहां केरल खाद्य उपकर लागू होता है -ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य को, जिन पर केरल वित्त विधेयक, 2019 के खंड 14 के अधीन केरल खाद्य उपकर का उद्ग्रहण किया गया है, अधिनियम की धारा 15 के निबंधनों में अवधारित किया गया मूल्य शामिल जाएगा किंतु उसे उक्त उपकर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।”।

5. उक्त नियमों के नियम 46 में पांचवें परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिसों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।”।

6. उक्त नियमों के नियम 49 में तीसरे परंतुक के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जावे वाली तारीख से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिसों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि प्रदाय पत्र का त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू आर) कोड होगा।”।

7. उक्त नियमों के नियम 66 के उपनियम (2) में,-

(क) “प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-4क” में शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कटौती की गई है, सामान्य पोर्टल पर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “की सम्यक् तारीख” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) “सामान्य पोर्टल पर” शब्दों के पश्चात् “विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में से कटौती की गई कर की रकम का दावा करने के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 67 के उपनियम (2) में,-

(क) “प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग” में शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) “की देय तारीख” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) “सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में” शब्दों के पश्चात् “विधिमान्यकरण के पश्चात् उसके इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में संगृहीत कर की रकम का दावा करने के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 87 में,-

(क) उपनियम (2) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (9) में,-

(i) “प्ररूप जीएसटीआर-02” शब्दों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) “नियम 87 के उपबंधों के अनुसार” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (12) के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(13) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, साधारण पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 में एकीकृत कर, केन्द्रीय कर राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को अंतरित कर सकेगा।”।

10. उक्त नियमों के नियम 91 के उपनियम (3) में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, राशी स्थानों पर जहां वे आते हैं, “संदाय सूचना” शब्दों के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 92 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख,-

(क) उपनियम (4) में, सभी स्थानों पर जहां वे आते हैं, “संदाय सूचना” शब्दों के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (4) में, “जो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “वहां वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्रतिदाय की रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे समेकित संदाय सूचना के आधार पर आवेदक की रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और प्रतिदाय आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप से जमा करेगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) राज्य सरकार, उपनियम (4) के अधीन जारी समेकित संदाय सलाह के आधार पर प्रतिदाय का वितरण करेगी।” ;

(घ) उपनियम (5) में, “सूचना” शब्द के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 94 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, “संदाय सूचना” शब्दों के स्थान पर, “संदाय आदेश” शब्द रखे जाएंगे।

13. उक्त नियमों के नियम 95 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“95क. किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पतन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को कर मुक्त आपूर्ति करने वाले खुदरा आउटलेट को करों का प्रतिदाय-

(1) किसी अंतरराष्ट्रीय विमान पतन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को, जो भारत से जा रहा है, देशी माल की आपूर्ति करने वाली खुदरा आउटलेट ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर इसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय की दावा करने का पात्र होगा।

(2) आवक आपूर्तियों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला खुदरा आउटलेट, यथास्थिति, मासिक या तिमाही आधार पर, साधारण पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा

अधिसूचित प्रसुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ख में प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन करेगा ।

(3) यथास्थिति, मास या तिमाही के दौरान की गई आपूर्ति के लिए जारी बीजकों की स्वप्रमाणित संकलित जानकारी, संबंधित क्रय बीजक के साथ प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय तब उपलब्ध होगा, यदि-

(क) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कर बीजक के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से माल के आवक आपूर्ति प्राप्त की गई थी ;

(ख) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कोई कर प्रभार्य किए बिना विदेशी विनिमय में किसी बाहर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक को उक्त माल की आपूर्ति की गई थी ;

(ग) आवक आपूर्ति के लिए कर बीजक पर खुदरा आउटलेट का नाम और माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख है ; और

(घ) ऐसे अन्य निर्बन्धन और शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का समाधान कर दिया गया हो ।

(5) इस नियम के अधीन स्वीकृति और संदाय के लिए नियम 92 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "बाहर जाने वाला अंतरराष्ट्रीय पर्यटक" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है और जो भारत में वैध अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत में प्रवेश करता है ।"

14. उक्त नियमों के नियम 128 में,-

(क) उपनियम (1) में "लिखित आवेदन की प्राप्ति पर" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी विस्तारित अवधि जो लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक मास की और अवधि के अधिक की हो, जो प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में,-

i. "स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से सभी आवेदन" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे आवेदन जो स्थायी समिति द्वारा अग्रेषित किए जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

ii. "राज्य स्तरीय छानबीन समिति और छानबीन समिति द्वारा" शब्दों के पश्चात् "लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर या प्राधिकारी द्वारा यथा अनुज्ञात लिखित में लेखबद्ध कारणों से एक मास से अनधिक अवधि के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

15. उक्त नियम के नियम 129 के उपनियम 6 में "तीन महीने की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करेंगे।" वाक्यांश में प्रयुक्त "तीन" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखा जाएगा।

16. उक्त नियम के नियम 132 के उपनियम (1) में "मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक" शब्द से पहले "प्राधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

17. उक्त नियम के नियम 133 में,--

(क) उपनियम (1) में "तीन" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(2क) प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन अवधारण प्रक्रिया के दौरान नियम 129 के उपनियम (6) के अधीन मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक से प्रस्तुत रिपोर्ट पर यदि कोई हो, स्पष्टीकरण मांग सकेगा।";

(ग) उपनियम (3) के खंड (ग) में "ऊपरी खंड के अधीन अवधारित धनराशि के पचास प्रतिशत" शब्दों के पश्चात् "उच्चतर धनराशि के संग्रहण की तारीख से ऐसी धनराशि के जमा करने की तारीख तक अट्ठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(घ) उपनियम (3) के स्पष्टीकरण में "संबंधित राज्य" पद से राज्य अभिप्रेत हैं" शब्दों के पश्चात् "या रांघ राज्यक्षेत्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ङ.) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5)(क) उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 171 के उपबंधों का, माल या सेवा या दोनों के संबंध में उन के सिवाय, जो उक्त रिपोर्ट में आच्छादित किए गए हैं, उल्लंघन किया गया है, प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे अन्य माल या सेवाओं या दोनों के संबद्ध अन्वेषण या जांच कराने के लिए उक्त नियम 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुनाफाखोरी निरोधी महानिदेशक को निदेश दे सकेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन अन्वेषण या जांच नई अन्वेषण या जांच समझी जाएगी और नियम 129 के सभी उपबंधों ऐसे अन्वेषण या जांच पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

18. उक्त नियम के नियम 138 के उपनियम (10) के, --

(क) सारणी में स्तंभ 3 में क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 4 के सामने "आकार से बड़ा.स्थोयरा शब्दों के पश्चात् "या मल्टीमोडल वहन जिसमें कम से कम एक बार पोत द्वारा परिवहन सम्मिलित हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) द्वितीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-
परंतु यह और भी कि ई-वे बिल की वैधता इसके अवसान के समय से आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकेगी।"

19. उक्त नियम के नियम 138ड के उपनियम (क) में,-

(क) "धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-16-2019-1-पांच (31) दिनांक 17 माई, 2019 के लाभ का उपभोग करने वाला" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) "विवरणियां" शब्द के स्थान पर "प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण" शब्द, अक्षर और अंक को रखे जाएंगे।

(ग) "कर अवधियों" शब्दों के स्थान पर "तिमाही" शब्द रखा जाएगा।

20. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 प्ररूप की "अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से संलग्न सारणी" क्रमसंख्या 4 के सामने शीर्षक में "बैंक लेखा संबंधित प्रमाण" शब्दों के पश्चात् "जहां ऐसे लेखा के ब्यौरे दिए जाते हैं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

21. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 के, भाग ख में प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"12A. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)	
--	--

बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या																			
खाते का प्रकार																			आईएफएससी
बैंक का नाम																			
शाखा का पता	स्वतः भर जाएगा																		

टिप्पण : और बैंक खाते जोड़ें

22. उक्त नियम प्ररूप जीएसटी आरईजी-12 में, भाग ख में 12 प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"13. बैंक खाता (खाते) के ब्यौरे (वैकल्पिक)

आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खाते की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक रिपोर्ट की जाएगी)	
---	--

4क. आवक प्रदाय जो किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से ग्रहण किया गया है (उन प्रदायों जिन पर प्रतिलोम प्रभार लागू होता है को छोड़कर)							
4ख. आवक प्रदाय जो किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायदाता से ग्रहण किया गया है (प्रतिलोम प्रभार लागू होता है)							
4ग. आवक प्रदाय जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से ग्रहण किया गया है							
4घ. आयात सेवा							

5. प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 के अनुसार स्वतःनिर्धारित उत्तरदायित्व का संक्षिप्त विवरण (संशोधन आदि के कारण अग्रिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और कोई अन्य समायोजन)

क्रम सं.	विवरण	मूल्य	कर की रकम			
			एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक प्रदाय (छूट प्राप्त प्रदाय सहित)	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
2.	ऐसा आवक प्रदाय जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है जिसके अंतर्गत आयात सेवाएं भी हैं।	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
3.	कर संदत्त (1+2)	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
4.	ब्याज संदत्त, यदि कोई है	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

6. ऐसे जावक प्रदाय/आवक प्रदाय जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है के कर दर वार ब्यौरे (संशोधन आदि के कारण अग्रिम नेट, प्रत्यय और नामे नोट और अन्य समायोजन)

क्रम सं.	प्रदाय का प्रकार (जावक/आवक)	कर की दर(%)	मूल्य	कर की रकम			
				एकीकृत कर	एकीकृत कर	एकीकृत कर	एकीकृत कर
1	2	3	4	5	6	7	8
				<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
				<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

				<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
		कुल		<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

7. टीडीएस/टीसीएस प्राप्त

कटौतीकर्ता/ई-वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन	सकल मूल्य	रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4

8. संदेय और संदत कर, ब्याज, विलम्ब शुल्क

क्र. सं.	कर का प्रकार	संदेय कर की रकम (सारणी 6 के अनुसार)	पहले से संदत कर रकम (प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 के माध्यम से)	संदेय कर की अतिशेष रकम, यदि कोई हो (3-4)	संदेय ब्याज	संदत ब्याज	संदेय विलम्ब शुल्क	संदत विलम्ब शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				
2.	केन्द्रीय कर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				
3.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				
4.	उपकर	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>				

9. इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही से दावाकृत प्रतिदाय

वर्णन	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं.
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ						

राज्यक्षेत्र कर						
(ग) उपकर						
बैंक खाते के ब्यौरे (ड्रॉप डाउन)						

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदाभिधान/प्रास्थिति

अनुदेश :-

1. प्रयुक्त निबंधन :

(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान सं.

(ख) टीडीएस : स्रोत पर कर कटौती

(ग) टीसीएस : स्रोत पर संग्रहित करे

2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में ब्यौरे, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आने वाले अप्रैल के तीसवें दिन तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

3. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए करदाता का संकलित आवर्त स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा ।

4. समेकित आधार पर आवक प्रदायों, दर-वार, जीएसटीआईएन-वार से सम्बन्धित जानकारी समाविष्ट करने के लिए सारणी 4 :

(i) आवक प्रदायों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से उन आवक प्रदायों, जिनको प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4क ;

(ii) ऐसा रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से, जिसको प्रतिलोम प्रभार लागू होता है, आवक प्रदाय को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ख ;

(iii) अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रदायों को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4ग ;

(iv) सेवाओं के आयात को समाविष्ट करने के लिए सारणी 4घ ;

5. ऐसे जावक प्रदायों, (जिनके अन्तर्गत छूट समाविष्ट प्रदाय भी हैं) और ऐसे आवक प्रदायों, जिनको वित्तीय वर्ष के दौरान प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में पूर्व में यथाघोषित सेवाओं के आयात सहित प्रतिलोम प्रभार लागू होते हैं, के ब्यौरे (और उनके समायोजक) समाविष्ट करने के लिए सारणी 5 ।

6. कटौतीकर्ती/ई-वाणिज्य प्रचालक से समाविष्ट स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संग्रहीत कर प्रत्यय सारणी 7 में स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा।”

24. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 में,-

(क) सारणी के क्रम सं. 8 के स्तंभ 2 की पंक्ति ग में, “सितम्बर, 2018 तक” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “2018 मार्च, से 2019 तक” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) सारणी के भाग 5 के स्तंभ 2 के शीर्षक में, “चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक के बीच विवरणियों में घोषित वित्तीय वर्ष 2017-18” अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) अनुदेशों में क्रम सं. 3 का लोप किया जाएगा ;

(घ) अनुदेशों के क्रम सं. 4 में, “इस भाग में घोषित” के साथ समाप्त होने वाले वाक्य के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“यह ध्यान दिया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त दायित्व प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित नहीं किया गया है और प्ररूप जीएसटीआर-3ख इस विवरणी में घोषित किया जाए । तथापि, करदाता इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का दावा नहीं कर सकते ।” ;

(ङ) अनुदेशों के क्रम सं. 5 की सारणी के स्तंभ 2 में,-

(i) क्रम सं. 8क के सामने “उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“यह ध्यान दिए जाए कि 1 मई, 2019 तक सृजित प्ररूप जीएसटीआर-2क को सारणी में स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा ।” ;

(ii) क्रम सं. 8ग के सामने, “सितम्बर, 2018 तक” शब्दों के स्थान पर, “2018 से मार्च 2019” तक शब्द रखे जाएंगे ;

(च) अनुदेशों के क्रम सं. 7 में,-

(i) “चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर मास या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख (उदाहरणार्थ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल से सितम्बर, 2018 तक घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), जो भी पहले हो” शब्दों, अक्षरों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के बीच” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) सारणी के स्तंभ 2 में,-

(क) क्रम सं. 10 और क्रम सं. 11 के सामने, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी के फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च, 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं. 12 के सामने, "चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं. 13 के सामने, चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर तक या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल किए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो" शब्दों के स्थान पर, "2018 से मार्च 2019 तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

25. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07 के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09					
[नियम 87(13) देखिए]					
इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही में एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में रकम का अंतरण					
1.	जीएसटीआईएन				
2.	(क) विधिक नाम	<स्वतः>			
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो	<स्वतः>			
3.	एआरएन				
4.	एआरएन की तारीख				
5. एक लेखा शीर्ष से अन्य लेखा शीर्ष में अंतरित की जाने वाली रकम के ब्यौरे					
(रकम रुपए में)					
निम्नलिखित से अंतरित की जाने वाली रकम			निम्नलिखित में अंतरित की जाने वाली रकम		
मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उपलब्ध रकम	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	अंतरित रकम
1	2	3	4	5	6
<केन्द्रीय कर,	कर		<केन्द्रीय कर,	कर	

राज्य/संघ	ब्याज		राज्य/संघ	ब्याज	
राज्यक्षेत्र कर,	शास्ति		राज्यक्षेत्र कर,	शास्ति	
एकीकृत कर,	फीस		एकीकृत कर,	फीस	
उपकर>	अन्य		उपकर>	अन्य	
	योग			योग	

6. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदाभिधान/प्रास्थिति

अनुदेश -

1. मुख्य शीर्ष-एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर और उपकर के प्रति निर्देश है।
2. लघु शीर्ष-कर, ब्याज, शास्ति, फीस और अन्य के प्रति निर्देश है।
3. यदि रकम एक मुख्य/लघु शीर्ष से किसी अन्य मुख्य/लघु शीर्ष में अंतरित की जानी आशयित है तो इस प्ररूप को भरें। रकम के अंतरण के लिए लघु शीर्ष वैसा ही या भिन्न हो सकता है।
4. एक लघु शीर्ष से रकम को उसी मुख्य शीर्ष के अधीन किसी अन्य लघु शीर्ष में भी अंतरित किया जा सकता है।
5. शीर्षक से कोई रकम केवल तभी अंतरित की जा सकती है यदि अंतरण के समय उस शीर्षक के अधीन अतिशेष उपलब्ध है।

26. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी,-

(क) तीसरी लाइन में "सलाह", शब्द के स्थान पर "आदेश" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) चौथी लाइन में "सलाह", शब्द के स्थान पर "आदेश" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) छठी लाइन में "सेवा में <केन्द्रीय> पीएओ/ खजाना/आरबीआई/बैंक", शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "सेवा में पीएओ, सीबीआईसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

27. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 के पश्चात् 1 जुलाई, 2019 से निम्नलिखित प्ररूप अति-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 ख

(नियम 95 क देखें)

शुल्क मुक्त दुकानों/शुल्क संदत्त दुकानों (खुदरा केंद्रों) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन:

2. नाम:

3. पता:

4. कर अवधि(मासिक/त्रैमासिक) : से <दिन/मास/वर्ष>तक <दिन/मास/वर्ष>

5. दायाकृत प्रतिदाय की रकम: <आईएनआर><शब्दों में>

6. प्राप्त मालों के आवक प्रदायों और तत्स्थानी जावक प्रदायों के ब्यौरे

प्रदायों के ब्यौरे

आवक प्रदाय										तत्स्थानी जावक प्रदाय			
प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक के ब्यौरे				द कर धय मूल्य	कर की रकम				बीजक के ब्यौरे			
	सं. / तारीख	एचएस एन कोड	परिमाण	मूल्य		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	उप कर	सं. / तारीख	एचएस एन कोड	परिमाण	करा धय मूल्य

7. जिसके लिए प्रतिदाय आवेदन किया गया है :

केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उप कर	कुल

< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >
---------	---------	---------	---------	---------

8. बैंक खाता के ब्यौरे:

- i. बैंक खाता संख्या
- ii. बैंक खाता प्रकार
- iii. बैंक का नाम
- iv. खाता धारक/संचालक का नाम
- v. बैंक शाखा का पता
- vi. आईएफएससी
- vii. एमआईसीआर

9. घोषणा:

मैं _____ (शुल्क मुक्त दुकान /शुल्क संदत्त दुकान-खुदरा केंद्र का नाम) के प्राधिकृत पतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि,-

- (i) इस आवेदन के साथ प्रस्तुत जावक प्रदायों के संबंध में किसी भी बीजकों के प्रति प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है ।
- (ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है ।

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

स्थान:

नाम:

पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश:

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन, खुदरा केंद्रों द्वारा विवरणी के प्रस्तुत करने की आवृत्ति की निर्भरता पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर फाइल किया जाएगा ।
2. एक आवक प्रदाय बीजक के संबंध में केवल एक बार आवेदन किया जाएगा । इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आवक प्रदाय बीजकों के लिए प्रतिदाय का आवेदन केवल उन प्राप्त मालों के बीजकों के विरुद्ध किया जाए जो पूर्ण रूप से प्रदाय किए गए हैं ।
3. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित सभी बीजकों में प्रदायकर्ता का

जीएसटीआईएन हो और संबंधित शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) का जीएसटीआईएन उन पर स्पष्ट रूप से चिन्हित हो ।

4. प्रतिदाय आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

- (क) यह परिवचन कि सभी देशी मालों जिन पर प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) द्वारा प्राप्त किया गया है;
- (ख) यह परिवचन कि देशी माल बाहर जा रहे पात्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बेचे गए हैं;
- (ग) जिस अवधि के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है उसके लिए विवरणी की प्रति ।

28. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

<p style="text-align: center;">"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 (नियम 142(2) और 142 (3) देखें)</p>												
<p>स्वैच्छिक रूप से किए गए संदाय की सूचना या कारण बताओ नोटिस (एससीएन) या विवरण के सापेक्ष किया गया संदाय ।</p>												
1.	जीएसटीआईएन											
2.	नाम <स्वतः>											
3.	संदाय के हेतुक << ड्राप डाउन>> लेखा परीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)											
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है << ड्राप डाउन>>											
5.	कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे, यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर संदाय किया गया है					संदर्भ संख्या		जारी होने की तारीख				
6.	वित्तीय वर्ष											
7.	ब्याज और शास्ति सहित संदाय के ब्यौरे, यदि लागू हो											
(रकम रु. में)												
क्र.सं	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/उप कर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद/प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. कारण, यदि कोई हों - << पाठ >>

9. सत्यापन-

मैं.....सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

तारीख - "

यह अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्र. एफ.ए 3-29-2019-1-पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-29-2019-1-पांच-(60), दिनांक 07 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th August 2019

No. F A 3-29/2019/1/V (60) In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

AMENDMENT

Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 10, the following rule shall be inserted, namely: -

“10A. Furnishing of Bank Account Details.-After a certificate of registration in **FORMGST REG-06** has been made available on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number has been assigned, the registered person, except those who have been granted registration under rule 12 or, as the case may be rule 16, shall as soon as may be, but not later than forty five days from the date of grant of registration or the date on which the return required under section 39 is due to be furnished, whichever is earlier, furnish information with respect to details of bank account, or any other information, as may be required on the common portal in order to comply with any other provision.”.

3. In the said rules, in rule 21, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
“(d) violates the provision of rule 10A.”.

4. In the said rules, after rule 32, with effect from the 1st day of July, 2019, the following rule shall be inserted, namely: -

“32A. Value of supply in cases where Kerala Flood Cess is applicable.- The value of supply of goods or services or both on which Kerala Flood Cess is levied under clause 14 of the Kerala Finance Bill, 2019 shall be deemed to be the value determined in terms of section 15 of the Act, but shall not include the said cess.”.

5. In the said rules, in rule 46, after the fifth proviso, with effect from a date to be notified later, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the Government may, by notification, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein, specify that the tax invoice shall have Quick Response (QR) code.”.

6. In the said rules, in rule 49, after the third proviso, with effect from a date to be notified later, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the Government may, by notification, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein, specify that the bill of supply shall have Quick Response (QR) code.”.

7. In the said rules, in rule 66, in sub-rule (2),-

(a) for the words, letters and figures “suppliers in Part C of FORM GSTR-2A and FORM-GSTR-4A” the word “deductees” shall be substituted;

(b) the words “the due date of” shall be omitted;

(c) after the words, letters and figures “FORM GSTR-7” the words “for claiming the amount of tax deducted in his electronic cash ledger after validation” shall be inserted.

8. In the said rules, rule 67, in sub-rule (2),-

(a) the words, letters and numbers “in Part C of FORM GSTR-2A” shall be omitted;

(b) the words “the due date of” shall be omitted;

(c) after the words, letters and figures “FORM GSTR-8” the words “for claiming the amount of tax collected in his electronic cash ledger after validation” shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 87,-

(a) in sub-rule (2), the second proviso shall be omitted.

(b) in sub-rule (9),-

(i) the words, letters and figures “in FORM GSTR-02” shall be omitted;

(ii) the words and figures “in accordance with the provisions of rule 87”

shall be omitted.

(c) after sub-rule (12), with effect from a date to be notified later, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(13) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax or cess in FORM GST PMT-09.”.

10. In the said rules, in rule 91, in sub-rule (3), with effect from a date to be notified later, at all the places where they occur, for the words "payment advice", the words "payment order" shall be substituted.

11. In the said rules, in rule 92, with effect from a date to be notified later,-

(a) in sub-rule (4), at all the places where they occur, for the words "payment advice", the words "payment order" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), after the words "application for refund", the words "on the basis of a consolidated payment advice" shall be inserted;

(c) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) The State Government shall disburse the refund based on the consolidated payment advice issued under sub-rule (4).";

(d) in sub-rule (5), for the words "an advice", the words "a payment order" shall be substituted.

12. In the said rules, in rule 94, with effect from a date to be notified later, for the words "payment advice", the words "payment order" shall be substituted.

13. In the said rules, after rule 95, with effect from the 1st day of July, 2019, the following rule shall be inserted, namely: -

"95A. Refund of taxes to the retail outlets established in departure area of an international Airport beyond immigration counters making tax free supply to an outgoing international tourist.-

(1) Retail outlet established in departure area of an international airport, beyond the immigration counters, supplying indigenous goods to an outgoing international tourist who is leaving India shall be eligible to claim refund of tax paid by it on inward supply of such goods.

(2) Retail outlet claiming refund of the taxes paid on his inward supplies, shall furnish the application for refund claim in **FORM GST RFD- 10B** on a monthly or quarterly basis, as the case may be, through the common portal either directly or through a Facilitation Center notified by the Commissioner.

(3) The self-certified compiled information of invoices issued for the supply made during the month or the quarter, as the case may be, along with concerned purchase invoice shall be submitted along with the refund application.

(4) The refund of tax paid by the said retail outlet shall be available if-

(a) the inward supplies of goods were received by the said retail outlet from a registered person against a tax invoice;

(b) the said goods were supplied by the said retail outlet to an outgoing international tourist against foreign exchange without charging any tax;

- (c) name and Goods and Services Tax Identification Number of the retail outlet is mentioned in the tax invoice for the inward supply; and
- (d) such other restrictions or conditions, as may be specified, are satisfied.

(5) The provisions of rule 92 shall, mutatis mutandis, apply for the sanction and payment of refund under this rule.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes."

14. In the said rules, in rule 128,-

(a) in sub-rule (1), after the words "receipt of a written application," the words "or within such extended period not exceeding a further period of one month for reasons to be recorded in writing as may be allowed by the Authority," shall be inserted;

(b) in sub-rule (2),-

- i. after the words "All applications from interested parties on issues of local nature" the words, "or those forwarded by the Standing Committee" shall be inserted;
- ii. after the words "the State-level Screening Committee and the Screening Committee shall," the words "within two months from the date of receipt of a written application, or within such extended period not exceeding a further period of one month for reasons to be recorded in writing as may be allowed by the Authority," shall be inserted.

15. In the said rules, in rule 129, in sub-rule (6), for the word "three" used in the phrase "shall complete the investigation within a period of three months", the word "six" shall be substituted.

16. In the said rules, in rule 132, in sub-rule (1), before the words "Director General of Anti-profiteering" the word "Authority," shall be inserted.

17. In the said rules, in rule 133,-

(a) in sub-rule (1), for the word "three" the word "six" shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) The Authority may seek the clarification, if any, from the Director General of Anti Profiteering on the report submitted under sub-rule (6) of rule 129 during the process of determination under sub-rule (1).";

(c) in sub-rule (3), in clause (c), after the words "fifty per cent. of the amount determined under the above clause", the words "along with interest at the rate of eighteen per cent. from

the date of collection of the higher amount till the date of deposit of such amount” shall be inserted;

(d) in sub-rule (3), in the Explanation, after the words “the expression, “concerned State” means the State”, the words, “or Union Territory” shall be inserted;

(e) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) (a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (4), where upon receipt of the report of the Director General of Anti-profiteering referred to in sub-rule (6) of rule 129, the Authority has reasons to believe that there has been contravention of the provisions of section 171 in respect of goods or services or both other than those covered in the said report, it may, for reasons to be recorded in writing, within the time limit specified in sub-rule (1), direct the Director General of Anti-profiteering to cause investigation or inquiry with regard to such other goods or services or both, in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(b) The investigation or enquiry under clause (a) shall be deemed to be a new investigation or enquiry and all the provisions of rule 129 shall mutatis mutandis apply to such investigation or enquiry.”.

18. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (10),-

(a) in the Table, in column (3), against serial no. 1 to serial no. 4, after the words “Over Dimensional Cargo”, the words “or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship” shall be inserted;

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the validity of the e-way bill may be extended within eight hours from the time of its expiry.”.

19. In the said rules, in rule 138E, in sub-clause (a),-

(a) after the words “being a person paying tax under section 10” the words and figures “or availing the benefit of this department notification No. F A-3-16-2019-1-V(31) dated 17 May, 2019,” shall be inserted;

(b) for the word “returns” the words, letters and figures “statement in **FORM GST CMP-08**” shall be substituted;

(c) for the words “tax periods” the word “quarters” shall be substituted.

20. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, in the Table appended to "List of Documents to be uploaded", against serial no. 4, in the heading, after the words "Bank Account Related Proof", the words", where details of such Account are furnished:" shall be inserted.

21. In the said rules, in **FORM GST REG-07**, in **PART-B**, after entry 12, the following entry shall be inserted, namely:-

"12A. Details of Bank Accounts (s) [Optional]"

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	
--	--

Details of Bank Account 1

Account Number																			
Type of Account											IFSC								
Bank Name																			
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)																		

Note-Add more bank accounts".

22. In the said rules, in **FORM GST REG-12**, after entry 12, the following entry shall be inserted, namely:-

"13. Details of Bank Accounts (s) [Optional]"

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	
--	--

Details of Bank Account 1

Account Number																			
Type of Account											IFSC								
Bank Name																			
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)																		

Note-Add more bank accounts".

23. In the said rules, for **FORM GSTR-4**, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GSTR-4

[See rule 62]

Return for financial year of registered person who has opted for composition levy or availing benefit of notification No. F A-3-16-2019-1-V(31) dated 17 May, 2019

Year

1.		GSTIN																		
2.	(a)	Legal name of the registered person	<Auto>																	
	(b)	Trade name, if any	<Auto>																	
3.	(a)	Aggregate turnover in the preceding Financial Year (Auto populated)																		
	(b)	ARN	<Auto>(after filing)>																	
	(c)	Date of ARN	<Auto>(after filing)>																	

4. Inward supplies including supplies on which tax is to be paid on reverse charge

GSTIN of supplier	Invoice details			Rate	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/UT)
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A. Inward supplies received from a registered supplier (other than supplies attracting reverse charge)										
4B. Inward supplies received from a registered supplier (attracting reverse charge)										
4C. Inward supplies received from an unregistered supplier										
4D. Import of service										

5. Summary of self-assessed liability as per FORM GST CMP-08

(Net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)

Sr. No.	Description	Value	Amount of tax			
			Integrated tax	Central tax	State/UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Outward supplies (including exempt supplies)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
2.	Inward supplies attracting reverse charge including import of services	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>

3.	Tax paid (1+2)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
4.	Interest paid, if any	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>

6. Tax rate wise details of outward supplies / inward supplies attracting reverse charge during the year

(Net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)

Sr. No.	Type of supply (Outward/ Inward)	Rate of tax (%)	Value	Amount of tax			
				Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
				<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
		Total		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>

7. TDS/TCS Credit received

GSTIN of Deductor / e-commerce operator	Gross Value	Amount	
		Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4

8. Tax, interest, late fee payable and paid

Sr. No.	Type of tax	Tax amount payable (As per table 6)	Tax Amount already paid (Through FORM GST CMP-08)	Balance amount of tax payable, if any (3-4)	Interest payable	Interest paid	Late fee payable	Late fee paid
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Integrated tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>				
2.	Central tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>				
3.	State/UT tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>				

4.	Cess	<Auto>	<Auto>	<Auto>				
----	------	--------	--------	--------	--	--	--	--

9. Refund claimed from Electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details (Drop Down)						

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Place

Name of Authorised Signatory

Date

Designation /Status

Instructions:-

- Terms used:
 - GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
 - TDS: Tax Deducted at Source
 - TCS : Tax Collected at Source
- The details in **FORM GSTR-4**, for every financial year or part thereof, should be furnished till the thirtieth day of April following the end of such financial year.
- Aggregate turnover of the taxpayer for the immediate preceding financial year would be auto-populated.
- Table 4 to capture information, on a consolidated basis, related to inward supplies, rate-wise, GSTIN wise:
 - Table 4A to capture inward supplies from registered supplier other than those attracting reverse charge;
 - Table 4B to capture inward supplies from registered supplier attracting reverse charge;
 - Table 4C to capture supplies from unregistered supplier;
 - Table 4D to capture import of services.
- Table 5 to capture details (and adjustments thereof) of outward supplies (including exempt supplies) and inward supplies attracting reverse charge including import of services as declared earlier in **FORM GST CMP-08** during the financial year.
- TDS/TCS credit received from deductor/e-commerce operator would be

auto-populated in Table 7.”

24. In the said rules, in **FORM GSTR-9**,-

(a) in the Table, in serial no. 8, in column 2, in row C, for the words and figures “to September, 2018”, the figures and word “2018 to March 2019” shall be substituted;

(b) in the Table, in Pt. V, in column 2, in the heading, for the words and letters “previous FY declared in returns of April to September of current FY or upto date of filing of annual return of previous FY whichever is earlier”, the letters, figures and words “FY 2017-18 declared in returns between April 2018 till March 2019” shall be substituted;

(c) in instructions, serial no. 3 shall be omitted;

(d) in instructions, in serial no. 4, after the sentence ending with “declared in this part.”, the following words, letters and figures shall be inserted, namely:-

“It may be noted that additional liability for the FY 2017-18 not declared in **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** may be declared in this return. However, taxpayers cannot claim input tax credit unclaimed during FY 2017-18 through this return.” ;

(e) In the instructions, in serial no. 5, in the Table, in column 2,-

(i) against serial no. 8A, after the words, letters and figures “corresponding suppliers in their **FORM GSTR-1**.”, the following words, letters and figures shall be inserted, namely:-

“It may be noted that the **FORM GSTR-2A** generated as on the 1st May, 2019 shall be auto-populated in this table.”;

(ii) against serial no. 8C, for the words “to September 2018”, the figures and words “2018 to March 2019” shall be substituted;

(f) in the instructions, in serial no. 7,-

(i) for the words, letters, brackets and figures “of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier”, the words and figures “between April 2018 to March 2019” shall be substituted;

(ii) in the Table, in column 2-

(A) against serial no. 10 & 11, for the words “to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier”, the figures and words “2018 to March 2019” shall be substituted;

(B) against serial no. 12, for the words “to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year,

whichever is earlier”, the figures and words “2018 to March 2019” shall be substituted;

(C) against serial no. 13, for the words “to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year whichever is earlier”, the figures and words “2018 to March 2019” shall be substituted.

25. In the said rules, after **FORM GST PMT -07**, with effect from a date to be notified later, the following form shall be inserted, namely:-

FORM GST PMT -09
[See rule 87(13)]

Transfer of amount from one account head to another in electronic cash ledger

1.	GSTIN	
2.	(a) Legal name	<Auto>
	(b) Trade name, if any	<Auto>
3.	ARN	
4.	Date of ARN	

5. Details of the amount to be transferred from one account head to another
(Amount in Rs.)

Amount to be transferred from			Amount to be transferred to		
Major head	Minor head	Amount available	Major Head	Minor head	Amount transferred
1	2	3	4	5	6
<Central tax, State/ UT tax, Integrated tax, Cess>	Tax		<Central tax, State / UT tax Integrated tax, Cess>	Tax	
	Interest			Interest	
	Penalty			Penalty	
	Fee			Fee	
	Others			Others	
	Total			Total	

6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place

Date

Signature

Name of Authorized Signatory

Designation /Status

Instructions -

1. Major head refers to - Integrated tax, Central tax, State/UT tax and Cess.
2. Minor head refers to - tax, interest, penalty, fee and others.
3. The form may be filled up if amount from one major / minor head is intended to be transferred to another major/minor head. Minor head for transfer of amount may be same or different.
4. The amount from one minor head can also be transferred to another minor head under the same major head.
5. Amount can be transferred from the head only if balance under that head is available at the time of transfer.

26. In the said rules, in **FORM GST RFD-05**, with effect from a date to be notified later,-

- (a) in Line 3 for the word "Advice", the word "order" shall be substituted;
- (b) in Line 4 for the word "Advice", the word "order" shall be substituted;
- (c) in Line 6, for the words and letters "To <Centre>PAO/ Treasury/ RBI/ Bank", the words and letters "To PAO, CBIC" shall be substituted.

27. In the said rules, after **FORM GST RFD - 10**, with effect from the 1st day of July, 2019, the following form shall be inserted, namely:-

FORM GST RFD-10 B	
<i>[See rule 95A]</i>	
Application for refund by Duty Free Shops/Duty Paid Shops (Retail outlets)	
1. GSTIN:	
2. Name:	
3. Address:	
4. Tax Period (Monthly/Quarterly) : From <DD/MM/YY>To <DD/MM/YY>	
5. Amount of Refund Claim: <INR><In Words>	
6. Details of inward supplies of goods received and corresponding outward supplies:	
DETAILS OF SUPPLIES	
Inward Supplies	Corresponding outward supplies

GSTIN of supplier	Invoice details				Rate	Taxable value	Amount of tax				Invoice details			
	No / Date	HSN Code	Qty.	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	No. / Date	HSN Code	Qty.	Taxable Value

7. Refund applied for:

Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax	Cess	Total
<Total>	<Total>	<Total>	<Total>	<Total>

8. Details of Bank Account:

- i. Bank Account Number
- ii. Bank Account Type
- iii. Name of the Bank
- iv. Name of the Account Holder/Operator
- v. Address of Bank Branch
- vi. IFSC
- vii. MICR

9. Declaration:

I _____ as an authorized representative of _____ (Name of Duty Free Shop/Duty Paid Shop – retail outlet) hereby solemnly affirm and declare that,-

- (i) refund has not been claimed against any of the invoices in respect of outward supplies submitted with this application.
- (ii) the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature of Authorized Signatory:

Place:

Name:

Designation / Status

Instructions:

1. Application for refund shall be filed on monthly/quarterly basis depending upon the frequency of furnishing of return by retail outlets.
2. Application shall be made in respect of one inward supply invoice only once. Therefore, it is advised that refund shall be applied only for those inward supply invoices the goods received against which have been completely supplied.
3. Applicant should ensure that all the invoices declared by him have the GSTIN of the supplier and the GSTIN of the respective Duty Free Shop /Duty Paid Shop (retail outlet) clearly marked on them.
4. Documents to be attached with the refund application:
 - a) Undertaking that all indigenous goods on which refund is being claimed have been received by the Duty-Free Shop/Duty Paid Shop (retail outlet);
 - b) Undertaking that the indigenous goods have been sold to eligible outgoing international tourist;
 - c) Copy of the returns for the period for which application is being filed.

28. In the said rules, for **FORM GST DRC-03**, the following FORM shall be substituted, namely:-

"FORM GST DRC- 03		
<i>[See rule 142(2) & 142 (3)]</i>		
Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement		
1.	GSTIN	
2.	Name	< Auto>
3.	Cause of payment	<< drop down>> Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)

4.	Section under which voluntary payment is made		<< drop down>>									
5.	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue		Reference No.					Date of issue				
6.	Financial Year											
7.	Details of payment made including interest and penalty, if applicable (Amount in Rs.)											
Sr. No	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax / Cesses	Interest	Penalty, if applicable	Others	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

8. Reasons, if any - << Text box>>

9. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory

Name

Designation / Status

Date - ”.

This Notification shall deemed to have come into force with effect from 28th june, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S.D. RICHHARIA, Dy. Secy.

क्रमांक एफ-ए-3-33-2019-1-पांच (61)-

भोपाल, दिनांक 07 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्र. एफ.ए 3-33-2019-1-पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2019-1-पांच-(61), दिनांक 07 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th August 2019

No. F A 3-33/2019/1/V (61) In exercise of the powers conferred by section 55 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable state tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation. -For the purposes of this notification, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall deemed to have come into effect from the 1st day of July, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S.D. RICHHARIA, Dy. Secy.